

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

तारीख..... तक

आदेश पत्रक

जिला- पटना सन्

केश का प्रकार दा० खा० वाद सं०..... २१२ सन्/२०१३-१४

आदेश की क्र०सं एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गी कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित												
13-4-13	<p>श्री. रामनाथ सिंह</p> <p>वल्द स्व० दशरथ सिंह ग्राम जिना बिगहा पो०</p> <p>थाना सिफूम जिला पटना केवाला न० 4963 दिनांक 22/05/2010</p> <p>के आधार पर निम्नांकित जमीन का दाखिल-खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।</p> <table border="1" data-bbox="133 868 1197 991"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना न०</th> <th>खाता न०</th> <th>खेसरा</th> <th>एराजी</th> <th>लगान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कुसुमपुर</td> <td>36</td> <td>217</td> <td>63</td> <td>10 रुक</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	मौजा	थाना न०	खाता न०	खेसरा	एराजी	लगान	कुसुमपुर	36	217	63	10 रुक	1.00	
मौजा	थाना न०	खाता न०	खेसरा	एराजी	लगान									
कुसुमपुर	36	217	63	10 रुक	1.00									
26-4-13	<p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन हेतु दें, आम महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक 22-4-13 को रखें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p> <p>नोटिस का तामिला प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने आवेदक के नाम दाखिल-खारिज करने की अनुशंसा किये हैं। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल-खारिज की दी जाती है। शुद्धि-पत्र निर्गत करें।</p> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p>													